FORM NO. III

फर्दअहकाम

(नियम– 26)

अदालत ....**सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), ... गुड़ामालानी...........**

प्रार्थीगण	विप्रार्थीगण
मोहनलाल पुत्र गुलाबा जाति विश्नोई निवासी नई खडाली तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर	1. गुलाबा पुत्र जोधा उर्फ जीया वगैरा (24) 25. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुडामालानी 26. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नौखडा

किस्म मुकदमा......धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मु0नं0...44./24.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मेंजारी हुए
24.01.2024 (23/1/24)	प्रार्थी मोहनलाल की ओर से यह प्रार्थना पत्र वकील श्री सुखराम विश्नोई द्वारा विप्रार्थीगण गुलाबा वगैरा के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया। जिसे बाद जांच दर्ज रजिस्टर से तलब किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 से 3 की पैतृक खातेदारी भूमि तहसील गुड़ामालानी पटवार क्षेत्र खडाली के राजस्व ग्राम नई खडाली में खेत खसरा नम्बर 56/2, 62/4 रकबा क्रमशः 3.7312, 1.7240 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 38 रकबा 18.4698 हैक्टेयर एवं पटवार क्षेत्र मौखावा के ग्राम मौखावा में खेत खसरा नम्बर 187/1 रकबा 7.2196 हैक्टेयर तथा तहसील नौखडा पटवार क्षेत्र बाण्ड के ग्राम खीचडों का वास में खेत खसरा नम्बर 774, 778 रकबा क्रमशः 1.3678, 4.3058 हैक्टेयर की अवस्थित है। जिसमें प्रार्थी के पैतृक हक निहित हैं। प्रार्थी ने पैतृक हकों की घोषणा का वाद न्यायालयश्री में पेश किया है परन्तु विप्रार्थी संख्या 1 राजस्व रेकर्ड के इन्द्राज का फायदा उठाकर अपने हिस्से के साथ साथ प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि को बेचान कर प्रार्थी को पैतृक हकों की भूमि से बेदखल करने पर आमदा है जिसकी पूर्ति भविष्य में सम्भव नहीं है। मूल वाद के निस्तारण में समय लगना सम्भव है। अतः दौराने दावा विरूद्ध विप्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री सुखराम विश्नोई से एक पक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया गया। भूमि विप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। वकील प्रार्थी की बहस अनुसार विप्रार्थीगण अपने हिस्सों से अधिक प्रार्थी के हिस्से की भूमि को भी बेचान कर प्रार्थी के हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में निहित है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में आराजी तौर पर स्वीकार किया जाकर आगामी तारीख पेशी तक उभयपक्षकारों को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी तहसील गुड़ामालानी पटवार क्षेत्र खडाली के राजस्व ग्राम नई खडाली के खेत खसरा नम्बर 56/2, 62/4 रकबा क्रमशः 3.7312, 1.7240 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 38 रकबा 18.4698 हैक्टेयर एवं पटवार क्षेत्र मौखावा के ग्राम मौखावा के खेत खसरा नम्बर 187/1 रकबा 7.2196 हैक्टेयर तथा तहसील नौखडा पटवार क्षेत्र बाण्ड के ग्राम खीचडों का वास के खेत खसरा नम्बर 774, 778 रकबा क्रमशः 1.3678, 4.3058 है[illegible] के रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। वकील प्रार्थी विप्रार्थीगण [illegible] रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित कर रसीदें ती[illegible] में पेश करें। वि[illegible]ण को सम्मन जारी होकर पत्रावली मूल वाद [illegible] 18.03.2024 को मूल वाद के साथ पेश हो। (रामजी भाई कलबी) सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी	प्रतिलिपि : 1. तहसीलदार गुड़ामालानी एवं तहसीलदार नौखडा 2. प्रार्थीगण/विप्रार्थीगण (रामजी भाई कलबी) सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.03 22:05:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

फर्द अहकाम

अदालत सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी
मुकाम–गुड़ामालानी

	बनाम	

जीसीएमएस संख्या		किस्म मुकदमा	

तारीख हुक्म	हुकम/कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए/पावती
27/8/24	पत्रावली पेश हुई। आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में व्यस्त है। अतः इल्तवा होकर पत्रावली आइन्दा 12/9/24 को पेश हो	
12/9/24	पत्रावली पेश हुई। आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में व्यस्त है। अतः इल्तवा होकर पत्रावली आइन्दा 20/9/24 को पेश हो	
20.9.24	पत्रावली आज पेश हुई वकील प्रार्थी उप०। बहस हेतु अवसर चाहते हैं। अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 26/9/24 को पेश हो। [signature]	
26/9/24	पत्रावली आज पेश हुई वकील प्रार्थी उप०। वकील प्रार्थी से बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा मूल वाद के निस्तारण तक रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु जारी अंतरिम निषेधाज्ञा पुष्ट करने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विवादित आराजी पैतृक आराजी होने के कारण मूल दावे के निस्तारण तक रिकॉर्ड की यथास्थिति को पुष्ट किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अंतरिम निषेधाज्ञा दिनांक [illegible].01.2024 मूल वाद के निस्तारण तक पुष्ट (confirm) की जाती है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर मूल वाद के नत्थी हो। [signature]	[illegible] ([illegible])

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.03 22:05:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner